International Journal of Geography, Geology and Environment

P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2021; 3(2): 152-154
Received: 15-07-2021
Accepted: 17-09-2021

डॉ0 संदीप कुमार सिंह
प्रवक्ता (भूगोल) रतनसेन इण्टर कालेज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ0 राजेश कुमार यादव
सहायक प्राध्यापक रतनसेन डिग्री कालेज बाँसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

CorrespondingAuthor:
डॉ0 संदीप कुमार सिंह
प्रवक्ता (भूगोल) रतनसेन इण्टर कालेज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

बड़ागाँव विकास खण्ड, जनपद वाराणसीः विविध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 संदीप कुमार सिंह एवं डॉ0 राजेश कुमार यादव

प्रस्तावना

विकास शब्द अत्यन्त जटिल (Complex) है। केवल एक कुदाल से खेती करने वाले किसान को जब खेत जोतने के लिए बैल की जोड़ी व खेत उपलब्ध हो जाय, एक भूखे व्यक्ति को जब रोटी नसीब होने लगे, एक बेरोजगार को रोजगार मिल जाए अथवा एक साइकिल सवार के पास कार खरीदने की क्षमता हो जाए तो यह विकास का द्योतक नहीं है, बल्कि यह निरन्तर चलने वाली बहुआयामी (Multidimensional) प्रक्रिया है, जिसमें परिवर्तन एवं उन्नति दोनों निहित है। इस प्रकार 'विकास' का तात्पर्य किसी क्षेत्र के संसाधन उपभोग में सकारात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है (मिश्रा एवं सुन्दरतम 1979) [2]। अतः स्पष्ट है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा मानवीय आयाम समाहित होते हैं।

भारत गाँवों का देश है, जहाँ का समाज प्रधानतया ग्रामीण समाज है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने बहुत पहले कहा था '' भारत की आत्मा गाँवों में बसती है'' अर्थात गाँव भारत की हृदयस्थली है। इसलिए यदि भारत का विकास करना है तो ग्रामीण समाज का विकास करना होगा। ग्रामीण विकास वास्तव में 'विकास' का एक अंग एवं व्यापक अर्थ वाला शब्द है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में संरचनात्मक परिवर्तन तथा उनके विकास की प्रक्रिया को स्वतः संपोषणीय बनाने से है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में से निर्धनतम (दयनीय जीवन– यापन करने वाले) व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना इसमें सम्मिलित है (विश्व बैंक 1975) [2]।

वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। जिसके अन्तर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सामाजिक–आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित हैं। चूंकि अध्ययन क्षेत्र भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु चलाये जाने वाले विविध विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षात्मक अध्ययन की चेष्टा की गई है।

अध्ययन क्षेत्र

बड़ागाँव विकास खण्ड गंगा मैदान के मध्यवर्ती भाग में स्थित उत्तर प्रदेश का पूर्वी जनपद विश्व की प्राचीनतम सांस्कृतिक नगर वाराणसी का एक प्रशासनिक संभाग है जो जनपद के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है जिसका भौगोलिक विस्तार 25° 22′ 30′′ उत्तर से 25° 33′ 15′′ उत्तरी अक्षांश एवं 82° 41′ पूर्वी देशान्तर से 82° 52′ पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा का निर्धारण जौनपुर जनपद की सीमा रेखा, आंशिक पश्चिमी सीमा के निर्धारण के लिए विसुही नदी के प्रवाह मार्ग को प्रयुक्त किया गया है, दक्षिणी सीमा का निर्धारण सेवापुरी विकास खण्ड की समीा रेखा तथा आंशिक रुप से भदोही जनपद की सीमा रेखा द्वारा होता है, जबकि पूर्वी सीमा के निर्धारण के लिए पिण्ड्रा विकास की सीमा रेखा को प्रयुक्त किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का धरातलीय स्वरुप लगभग समान है। नदी तटीय क्षेत्रों में ही कटाव के फलस्वरुप तथा नालियों के कारण असमतल भू–भाग दिखाई पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र औसत समुद्रीय सतह से 100 मीटर ऊंचा है जिसका सामान्य ढाल प्रति कि0 मी0 की दूरी पर 1 से 5 मीटर की दर से वरुणा नदी की प्रवाह की ओर है। उत्तरी – पूर्वी भाग की सर्वाधिक ऊँचाई समुद्र तट से 90.2 मीटर तथा दक्षिणी भाग की निम्नतम ऊँचाई 80.5 मीटर है। अतः स्पष्ट है कि यह भू–भाग सामान्यतः जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित सर्वत्र समतल मैदान है। सम्पूर्ण विकास खण्ड का क्षेत्रफल 17433 वर्ग कि0 मी0 है। जिसमें कुल 13 न्याय पंचायतें तथा 139 (2 गैर आबाद) ग्राम हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 137 ग्रामों में कुल जनसंख्या 221376 है।

जिसमें पुरुषों एंव स्त्रियों की संख्या क्रमशः 110751 व 110625 है। अतः अध्ययन क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या लगभग समान है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

देश की स्वतंत्रता के साथ–साथ अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं आयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन समस्याओं का असर कहीं ज्यादा पड़ा। इसलिए स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु संगठित प्रयास किया जाने लगा। जिसके अन्तर्गत अनेक सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता रहा। प्रारम्भ में इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों की संख्या काफी कम रही, परन्तु धीरे–धीरे वृद्धि की जाती रही है। इन कार्यक्रमों का संचालन ग्रामीण विकास की तीव्र गति और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाता रहा है।

इस दृष्टि से 2 अक्टूबर 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (IDP) शुरु किया गया। जिसका उद्देश्य गाँवों की प्रारम्भिक जीवन शैली में सुधार कर ग्रामीण समाज को समानता और न्याय का अधिकार दिलाना है। इसी प्रकार चौथी एवं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण निर्धन तथा अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हेतु अनेक कार्यक्रम शुरु किये गये। इसमें तकनीकी एवं आर्थिक

सहायता के लिए वर्ष 1969 तथा 1971 में क्रमशः 'लघु कृषक विकास एजेन्सी' (SFDA) तथा 'सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी' (MFALDA) कार्यक्रम चलाये गये। इसके अतिरिक्त 1977 में 'सूखा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम' (DADP) तथा 'समादेशक क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (VADP) उल्लेखनीय है। इसके पश्चात ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में काम हेतु तथा ग्रामीण परिवारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु वर्ष 1977 में 'काम के बदले अनाज'एवं 'अन्त्योदय योजना' तथा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' (MNP) एवं ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी दूर करने के लिए TRYSEM (ट्रेनिंग आफ रुरल यूथ फार सेल्फ एम्प्लायमेण्ट) योजना चलाई गई।

इस प्रकार ग्रामीण विकास के लिए चलाये गये उपरोक्त कार्यक्रमों से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी। एतएव यह अनुभव किया गया कि सभी कार्यक्रमों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लाभ होगा। इसलिए 1 अप्रैल 1978 को 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' (IRDP) की शुरुआत की गयी। इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 50 चयनित विकास खण्डों तथा सन् 1978 में 2300 विकास खण्डों एवं 2 अक्टूबर 1980 को देश के सम्पूर्ण विकास खण्डों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि में उत्पादन बढ़ाना, सम्बन्धित विकास खण्ड में भूमि का सर्वोत्तम उपयोग, जल तथा उर्वरकों द्वारा उत्पादकता तथा निर्धन वर्ग की आय में बृद्धि करना है। परन्तु इस कार्यक्रम से जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा, क्योंकि इस कार्यक्रम से आय में मात्रात्मक बृद्धि तो हुई परन्तु गरीबी रेखा से ऊपर बहुत कम परिवार ही उठ पाये।

ग्रामीण विकास के संदर्भ में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कई कार्यक्रम चलायी गई है जिसमें 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' (NREP), 'भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम' (RIEGP), ' इंदिरा आवास योजना', ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' तथा 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' (SGSY)A यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरु किया गया, जिसमें पूर्ववर्तीय 6 योजनाओं (IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, MWS rFkk GKY) का विलय कर दिया गया। 25 दिसम्बर 2000 में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY), 1 जनवरी 2001 में 'ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम', सितम्बर 2001 में 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' (SGRY), वर्ष 2003 में 'जय प्रकाश नारायण रोजगार गारण्टी योजना' तथा 2 फरवरी 2006 से प्रत्येक गरीब परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को बाजार की न्यूनतम मजदूरी दर पर 100 दिन रोजगार मुहैया कराने की गारण्टी के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' (नरेगा (NREGA) शुरु किया गया। जिसे 2 अक्टूबर 2009 से 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम' (मनरेगा) के नाम से पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त 12 अप्रैल 2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (NRHM) शुरु किया गया तथा 16 दिसम्बर 2005 को प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने 'भारत निर्माण योजना' शुरु किये। जिसका उद्देश्य ग्रामीण

अवस्थापना का सर्वांगीण तथा व्यापक विकास है, जिससे ग्रामीण भारत को एक नगरीय स्वरुप प्राप्त होगा।

इसी प्रकार वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा भी ग्रामीण विकास की सम्पूर्ण रुप–रेखा तय किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति विद्युतीकरण, सड़कों का निर्माण व रख–रखाव, शमशान भूमि आदि का अनुरक्षण तथा विकास कार्यों से कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक जागरुकता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन, ग्राम सेविका प्रशिक्षण, महिला एवं बाल कल्याण विकास, रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, कृषि उत्पादन तथा सिंचाई सुविधाओं का सुधार, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शिक्षा व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन तथा महिला नेतृत्व एवं सहभागिता प्रमुख है। इस प्रकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों से भले ही अपेक्षित सफलता न मिली हो फिर भी इन कार्यक्रमों की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। वर्ष 1973–74 में जहां देश की 55% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही थी, वह अब घटकर 26% रह गई है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में इन कार्यक्रमों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।

ग्रामीण विकास के वर्तमान प्रयास

ग्रामीण विकास के लिए नीति निर्धारकों, नियोजकों तथा प्रशासनिक तंत्रों द्वारा अनेक कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण, संचालन एवं घोषणा किया गया। परन्तु जिस गति से कार्यक्रमों की घोषणाएं की गयी, ग्रामीण विकास पर उसके अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में ग्रामीण विकास के लिए गाँवों में रहने वाले निर्धन एवं विपन्न लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार अपना जीवन सुधारने तथा राष्ट्र के विकास और औद्योगिक प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर पूरी गरिमा के साथ मिलने चाहिए। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान सरकार ने प्रयास किये हैं।

उक्त संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने के कार्यक्रम गत वर्षों में संचालित किये गये हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों के संचालन के बाद भी निर्धनता जनित भूख की स्थितियाँ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती रहीं। अतएव स्थिति इतना विकराल रुप धारण की है कि कुछ वर्गों में खाद्यान्न खरीदने की शक्ति भी नहीं है। इस विषमता को दूर करने के उद्देश्य से ही 25 सितम्बर 2001 में SGRY के अन्तर्गत 'काम के बदले अनाज' के लिए केन्द्र राज्य सरकारों को निःशुल्क देगा। रोजगार के और अधिक अवसर जुटाकर निर्धन क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए JPRGY को उन ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया जो सबसे अधिक विपन्न हों। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

उपलब्ध कराने हेतु 1999 में स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना' (SJ GSY) शुरु किया गया जिसमें स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता में विकास करने, ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन सम्बन्धी मार्ग दर्शन आदि सम्मिलित है। इस योजना को वर्ष 2004 तक प्रत्येक ग्राम में विस्तारित कर दिया गया। इसी प्रकार 2 फरवरी 2006 को स्थापित MNREGA (मनरेगा) का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विस्तार करके 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिलों को शामिल किया गया तथा बजट वर्ष 2020–21 में इसके लिए 61500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत शामिल न किये जिलों में ग्रामीण रोजगार के लिए SGRY हेतु 2600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। इसके अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' का प्रारम्भ किया गया।

गाँवों को सड़कों से जोड़ने की महत्वपूर्ण व्यापक योजना PMGSY का लक्ष्य वर्ष 2003 तक 1000 आबादी तथा 2007 तक 500 आबादी वाले प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ दिया जायेगा। इसी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 में ''भारत निर्माण योजना'' प्रारम्भ किया गया। जिसके तहत वर्तमान समय में 1 लाख 46 हजार कि0मी0 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा 1 लाख 94 हजार कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण शामिल है। इसके लिए वर्ष 2020–21 में 19500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा का आभाव है जबकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार की यह आधारभूत आवश्यकता एवं आकांक्षा होती है। इस आभाव को पूरा करने के लिए कार्यरत 'इंदिरा आवास योजना' के लिए वर्ष 2019–2020 आवंटित राशि बढ़ाकर मैदानी क्षेत्र के लिए 120000 तथा पर्वतीय दुर्गम राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में 130000 किया गया है। इसके लाभार्थी को 70,000 रुपये के अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे। इसके तहत भारत सरकार 2022 तक 'हाऊस फार आल' प्रदान करने के लिए लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरु किया गया जिसका उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी या ग्रामीण इलाकों में घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्थापित NRHM के लिए आवंटित धनराशि को बढ़ाया गया। वर्ष 2012–13 में इस योजना को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' (NHM) योजना में मिला लिया गया। जिसके लिए 21239 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। वर्ष 2020–21 में यह धनराशि बढ़ाकर 33400 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम कीमत पर ग्रामीण को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दृष्टि 'जनरक्षा' के नाम से एक बीमा योजना शुरु किया गया है जिसमें 1 रुपया प्रतिदिन की दर से शुल्क देने वाला व्यक्ति

चिकित्सालयों में 30,000 रुपये तक का चिकित्सा करवा सकेगा। इसी प्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितम्बर 2018 को सामाजिक आर्थिक रुप से पिछड़े गरीब परिवारों के लिए 'आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' (AB-NHPS) के अन्तर्गत 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PMJAY) का शुभारम्भ किया गया। जिसके तहत देश के 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा कराना तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलना है। वर्ष 2019 में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपयें का व्यय हुआ था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि देश के ग्रामीण विकास के लिए चलाये गये कार्यक्रम अपरिहार्य हैं। ये सभी कार्यक्रम देश के कृषि विकास, औद्योगिक विकास तथा अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास के साथ ही साथ वहाँ के ग्रामीण विकास में भी अत्यन्त सहायक हैं।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास में विविध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

अध्ययन क्षेत्र बड़ागांव विकास खण्ड जनपद वाराणसी का एक प्रशासनिक संभाग एवं ग्रामीण क्षेत्र है। अतः कृषि यहां की मुख्य अर्थव्यवस्था है जिस पर आधारित कुछ लघु एवं कुटीर उद्योगों का सीमित मात्रा में विकास हुआ है। यह क्षेत्र आर्थिक रुप से पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ की साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि काफी न्यून है। सरकार द्वारा चलाये गये अनेक प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजना इस क्षेत्र के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है। वर्तमान में इसका अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।

संदर्भ सूची

1. Mishra RP, Sundram KV. 'Rural Development and Approaches' (et.al) Sterling pub 1 New Delhi. 1979, 1.
2. World Bank. Rural Development Sector Policy Paper Washington. 1975.